न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश सं. 02, किशनगढ़, जिला अजमेर।

सेशन प्रकरण सं. 46/2023 सीआईएस सं. 34/2023

सरकार बनाम सुरेश यादव

दिनांक 03.01.2026

अपर लोक अभियोजक उपस्थित। अभियुक्त सुरेश यादव जे.सी. से जरिए वी.सी. उपस्थित। जे.सी. वारण्ट पेश हुआ। अधिवक्ता अभियुक्त उपस्थित।

इस आदेश द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 19.09.2025 का निस्तारण किया जा रहा है। उक्त प्रार्थना पत्र बाबत उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त ने कथन किया है कि प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अपने असल दस्तावेज स्टाम्प इकरारनामा (राजीनामा) व सहमति पत्र पेश किए थे, जिनकी प्रार्थी/अभियुक्त को अपने अन्य दीवानी वाद में आवश्यकता होने के कारण उक्त दस्तावेज प्राप्त करना चाहता है। दस्तावेजों की सत्यप्रति पेश की जा रही है। अतः असल दसतावेज लौटाने का निवेदन किया।

उक्त प्रार्थना पत्र का अपर लोक अभियोजक द्वारा लिखित जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। दौराने बहस अपर लोक अभियोजक ने प्रकरण अभियोजन साक्ष्य के प्रक्रम पर होने एवं प्रकरण का अंतिम तौर पर निस्तारण नहीं होने से दस्तावेज लौटाए जाने पर आपत्ति की।

उभयपक्ष को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया। संबंधित विधि का अध्ययन व परिशीलन किया गया। प्रार्थी/अभियुक्त ने जरिए प्रार्थना पत्र असल दस्तावेज स्टाम्प इकरारनामा (राजीनामा) व सहमति पत्र, जो अभियुक्त की ओर से अभियोजन साक्ष्य में गवाहान की जिरह के दौरान पेश किए गए थे, उन्हें लौटाने का निवेदन किया है। इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया जावे तो प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा असल दस्तावेज स्टाम्प इकरारनामा (राजीनामा) प्रदर्श डी 1 व सहमति पत्र प्रदर्श डी 7 पेश किए गए थे, जो अभियोजन गवाहान की साक्ष्य में दौराने जिरह प्रदर्शित करवाए गए हैं, उक्त दस्तावेज की प्रार्थी/अभियुक्त ने अन्य दीवानी वाद में आवश्यकता होना बताया है, परंतु क्या आवश्यकता है व किस वाद में आवश्यकता है, इस संबंध में कोई कथन अंकित नहीं किए हैं। इसके अतिरिक्त प्रकरण अभी अभियोजन साक्ष्य के स्तर पर है तथा प्रकरण का अंतिम तौर पर निस्तारण नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में उक्त दस्तावेज को उक्त प्रक्रम पर प्रार्थी/अभियुक्त को लौटाया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। इसके अतिरिक्त यदि प्रार्थी/अभियुक्त को अन्य प्रकरण में उक्त दस्तावेजों की आवश्यकता है तो वह उक्त दस्तावेजों की नियमानुसार प्रमाणित प्रति प्राप्त कर अन्य प्रकरण में उनका उपयोग करने के लिए स्वतंत्र है। अतः उक्त विवेचनानुसार प्रार्थी/अभियुक्त का प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बेंच जयपुर के द्वारा एस.बी. क्रिमिनल मिस. थर्ड बेल एप्लीकेशन नं. 14179/2025 में दिनांक 03.12.2025 को अभियुक्त का तृतीय जमानत आवेदन पत्र जरिए विड्रॉ खारिज करते हुए प्रकरण में डे–टू–डे कार्यवाही करने, अनावश्यक स्थगन नहीं देने के निर्देश दिए हैं। अतः ऐसी स्थिति में प्रकरण में अभियोजन के शेष गवाहान सं. 7, 8 व 9 को दिनांक 06.01.2026 को, गवाहान सं. 11, 12 व 13 को दिनांक 07.01.2026 को, गवाहान सं. 14, 15 व 16 को दिनांक 08.01.2026 को तथा गवाहान सं. 17, 18 व 19 को दिनांक 09.01.2026 को जरिए बी.डब्ल्यू. दस हजार से तलब किया जावे। अभियुक्त सुरेश यादव की जे.सी. अवधि बढ़ाई गई।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य अभियोजन में दिनांक 06.01.2026 को पेश हो।